

अध्याय - IV

मैसर्स वोडाफोन दूरसंचार लिमिटेड द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी

4.1 प्रस्तावना

वोडाफोन टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड (वी टी एल) जिसे पहले डाटाकॉम साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) से 21¹ लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एल एस ए) के लिए 2008 में एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस (यू ए एस एल) प्राप्त किया था। वी टी एल को 20 लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल एस ए) में स्पैक्ट्रम आबंटित किया गया था तथा कम्पनी ने 2010-11 से 2011-12 की अवधि के दौरान 17 एल एस ए में 'ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल' (जी एस एम) सेवा प्रदाता के रूप में परिचालन शुरू किया था।

उपरोक्त वर्णित लाइसेंस के अलावा, वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के पास वर्ष 2009 से हासिल किये गये 'राष्ट्रीय दूरस्थान' (एन एल डी) और 'अन्तर्राष्ट्रीय दूरस्थान' (आई एल डी) लाइसेंस हैं। वी टी एल ने क्रमशः 2010 तथा 2012 में एन एल डी और आई एल डी सेवाओं का शुभारम्भ किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12 फरवरी, 2012 के निर्णय के पश्चात् वी टी एल को प्रदान किये गये समस्त 21 लाइसेंसों को अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया गया। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, वी टी एल ने 'यू ए एस एल' के अधीन जनवरी 2013 तक अपनी सेवाएँ जारी रखी। तत्पश्चात् वी टी एल ने सितम्बर 2012 में दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित नीलामी में भाग लिया तथा छः सेवा क्षेत्रों जैसे बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सफल बोली दाता रहा।

4.1.1 वी टी एल द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम रखना

वी टी एल को 2008-09 के दौरान 1800 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में 20 एल एस ए में ग्लोबल सिस्टम आफ मोबाइल (जी एस एम) स्पैक्ट्रम आबंटित किया गया था जिसे कम्पनी ने 2012-13 तक अपने पास बनाये रखा। कम्पनी द्वारा रखे गए संघटित स्पैक्ट्रम का विवरण नीचे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1

क्र. सं.	तकनीक	स्पैक्ट्रम	एक्सेस कैरियर की संख्या*	एम डब्ल्यू बैकबॉन कैरियर की संख्या*#	एल एस ए (सेवाक्षेत्र)
1	जी एस एम (यू ए एस एल)	2 x 4.4 मेगाहर्ट्ज	2	1	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटका, केरल, कोलकाता, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, उत्तर पूर्व, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं चैन्नई, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल

* प्रत्येक कैरियर (वाहक) 56 मेगाहर्ट्ज का है

*# मुम्बई तथा कोलकाता में बैकबॉन कैरियर (वाहक) आबंटित नहीं किया गया

¹ आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटका, केरल, कोलकाता, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, उत्तर पूर्व, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं चैन्नई, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) व पश्चिम बंगाल

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त सेवा क्षेत्रों का लाइसेंस रद्द करने के पश्चात्, वी टी एल ने सितम्बर 2012 में आयोजित नीलामी में हिस्सा लिया तथा उसे तालिका 4.2 में दर्शाये गए छः सेवा क्षेत्रों में सफल बोलीदाता घोषित किया गया:

तालिका 4.2

तकनीक	स्वीकृत लाइसेंस अनुबन्ध की तिथि / स्पैक्ट्रम आबंटन की तिथि	स्पैक्ट्रम	एक्सेस कैरियर की संख्या	बैकबॉन कैरियर की संख्या	एल एस ए (सेवाक्षेत्र)
जी एस एम (यू एल) एक्सेस सेवाएँ	04 मार्च 2013/ 02 अप्रैल 2013	2 x 5 मेगाहर्ट्ज	2	1	बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

4.1.2 वी टी एल द्वारा बताया गया राजस्व एवं राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वमूल्यांकन आधार पर त्रैमासिक आधार पर 'ए जी आर' के प्रतिशत पर 'लाइसेंस शुल्क' (एल एफ) और 'स्पैक्ट्रम उपयोग शुल्क' (एस यू सी) का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। वी टी एल द्वारा वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के दौरान सूचित सकल राजस्व (जी आर), कटौतियाँ, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) तथा राजस्व की हिस्सेदारी (एल एफ और एस यू सी) का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 4.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर अभिदाता बेस (करोड़ में)	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर*	ए जी आर से जी आर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ + एस यू सी)
2009-10	0	0	0	0	0	0
2010-11	0.71	376.68	334.34	101.56	26.96	12.11
2011-12	0.60	730.16	454.46	278.26	38.10	30.76
2012-13	0.20	459.18	302.94	173.97	37.88	18.93
2013-14	0.50	872.14	503.93	368.33	42.23	40.50
2014-15	0.71	1447.30	966.77	480.83	33.22	51.17
कुल		3885.46	2562.44	1402.95	36.10	153.47

*ए जी आर संख्याएं नकारात्मक ए जी आर लाइसेंस (एल एस ए) सेवा क्षेत्रों को छोड़कर दी गई हैं

4.2 वितरकों/अभिदाताओं को कमीशन/छूट/ऑफर के नेटिंग आफ के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वी टी एल द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए पूर्व प्रदत्त प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित डाटा/दस्तावेजों की जाँच में यह पाया गया कि –

- वितरकों/एजेन्टों को दिए गए कमीशन को अग्रिम छूट दिखाकर प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व को कम करके दिखाया गया है।
- उपभोक्ताओं को पेश किए गए विभिन्न प्रस्तावों जैसे ग्राहकों को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी) तथा वितरकों को मुफ्त सिम-कार्ड बांटने इत्यादि को प्रीपेड सेवाओं से प्राप्त राजस्व से अलग कर दिया गया था।

मद-वार विवरण निम्न प्रकार से है:-

4.2.1 वितरकों को दिया गया कमीशन/छूट के नेटिंग ऑफ के कारण प्रीपेड राजस्व की कम सूचना

वी टी एल बिक्री भागीदारों/एजेन्टों/फ्रैंचाइजी/डीलरों/वितरकों आदि के माध्यम से प्रीपेड खण्ड में विभिन्न उत्पादों/सेवाओं को बेचता है जिसके लिए छूट/कमीशन दिया जाता है। ऐसे छूट/कमीशन आदि लाइसेंस धारक के खर्च के रूप में हैं।

वी टी एल के खातों की समीक्षा में यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान वितरकों/फ्रैंचाइजी/एजेन्टों/डीलर्स को अनुमानतः ₹ 66.91 करोड़ की भुगतान राशि को राजस्व हेतु संज्ञान/विचार में नहीं लिया गया था क्योंकि वास्तविक बिल राशि को गणना में लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)/नियंत्रक, संचार लेखा (कंट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स) को प्रस्तुत किए गए समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) विवरण में प्रीपेड राजस्व को कम दिखाया गया व फलस्वरूप वास्तविक राजस्व कम दर्शाया गया। चूँकि वितरकों/फ्रैंचाइजी/एजेन्टों/डीलरों को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन खर्च के रूप में था, अतः इस खर्च को राजस्व में शामिल न करने के (जो कि लाइसेंस के नियम एवं शर्तों के विरुद्ध था) परिणामस्वरूप ₹ 66.91 करोड़ की सकल राजस्व (जी आर) की राशि कम दर्ज की गई।

प्रबन्धन द्वारा निम्न उत्तर दिया गया: –

- कम्पनी ने हमेशा केवल दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले समायोजित सकल राजस्व के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी पर विचार किया है;
- प्राथमिक बिलिंग के समय वितरकों को प्राथमिक मार्जिन की पेशकश की जाती है। अर्थात् प्राथमिक बिलिंग केवल रिचार्ज वाउचर के लिए है और सभी चालानों में निर्धारित मूल्य दिया गया है;
- प्रसंस्करण के जी एल राजस्व लेजर में डेबिट की गई राशि प्राथमिक बिलिंग के समय वितरकों को दी जाने वाली व्यापार छूट की है। लेखांकन नीति के अनुसार वितरकों द्वारा भुगतान की गई राशि को लाभ एवं हानि खाता में दर्ज किया जाता

है, न कि वितरक के माध्यम से बेचे गये उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) पर किया जाता है;

- यह भी कहा गया है कि लेखाकंन मानक 9 (ए एस-9) के संदर्भ में “कम्पनी की माल की बिक्री, सेवा प्रदान करने जैसी सामान्य गतिविधियों से उत्पन्न प्राप्त होने वाला या विचारणीय सकल नकद अंतर्वाह राजस्व है” अतः उपरोक्त बिन्दुओं को संज्ञान में रखते हुए लाइसेंस फीस का भुगतान प्राप्त राजस्व पर किया गया है। टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को निर्णय में हवाला देते हुए यह भी कहा कि ‘जी आर’ की गणना करने के संदर्भ में, प्रवाह का अर्थ काल्पनिक न होकर अपितु प्राप्ति से है;
- टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि यदि बिक्री एक सहमत कीमत पर होती है और उस सहमत कीमत को राजस्व के अधीन लाभ एवं हानि खाता में दर्ज कर चालान जारी किया गया हो तो बिना किसी छूट के वास्तविक बिक्री मूल्य राजस्व होगा और ‘अधिकतर खुदरा मूल्य’ (एम आर पी) तथा ‘बिक्री मूल्य’ के अन्तर को ‘सकल राजस्व’ में शामिल नहीं किया जा सकता है;
- उपरोक्त तथ्यों/विवरणों को ध्यान में रखते हुए, वी टी एल वितरकों को ₹ 66.91 करोड़ की राशि अग्रिम कमीशन के रूप में दिए जाने के फलस्वरूप ‘सकल राजस्व’ को कम बताया जाने के लेखापरीक्षा बिन्दु को स्वीकार करने या उस पर विचार करने की स्थिति में नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त प्रातिक्रिया से सहमत न होने का कारण है:

- वी टी एल अतंतः सेवाएं प्रदान कर रही है और वी टी एल ने सीधे ग्राहकों को कार्ड बेचे हैं। राजस्व की गणना सेवाएं प्रदान करने के पूर्ण मूल्य पर होनी चाहियें और बिक्री सम्बन्धी व्ययों की गणना व्यय के रूप में दर्ज होनी चाहिये। उसी समानता पर वितरकों को दी गई छूट/कमीशन व्यय की रूप में होना चाहिये और इस प्रकार राजस्व से कटौती नहीं की जानी चाहिए;
- चूंकि यह प्रकरण ‘उच्चतम न्यायालय’ में उपन्यायिक है, तो लेखापरीक्षा का विचार है कि वितरकों/फ्रैंचाइजी/डीलरों को दिया जाने वाला कमीशन/छूट विपणन व्यय के रूप में होगा। अतः ऐसे व्ययों का राजस्व पृथक करना (सेट ऑफ करना) लाइसेंस नियमों के विरुद्ध है।

अतः इस प्रकार सकल राजस्व की गणना करते समय प्रीपेड वितरकों को कमीशन/छूट के रूप में दी गई ₹ 66.91 करोड़ की राशि को संज्ञान में न लेने के फलस्वरूप ‘सकल राजस्व’/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) कम बताया गया। जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस तथा स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार (एस यू सी) की राशि, जो कि क्रमशः ₹ 5.82 करोड़ तथा ₹ 2.63 करोड़ बनती थी, का कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक-4.01)।

4.2.2 प्रीपेड अभिदाताओं को फ्री एयर-टाइम के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वी टी एल अपने प्रीपेड ग्राहकों को फ्री एयर-टाइम (एफ ए टी) प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राजस्व शेयर की गणना करते समय उपभोक्ताओं को उपलब्ध फ्री एयर टाइम की कुल राशि ₹ 92.10 करोड़ को जी आर/ए जी आर में स्वीकार्य नहीं किया गया था। चूंकि उपभोक्ताओं को की गई पेशकश जैसे 'फ्री एयर-टाइम का प्रस्ताव' व्यापार को बढ़ाने के लिए समग्र व्यवसायिक रणनीति का हिस्सा था, इसलिए ऐसे प्रस्तावों की लागत खर्चों के रूप में थी। तथापि लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, सेवा राजस्व किसी भी सैट-आफ के बिना सकल दिखाया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार राजस्व हिस्सेदारी की गणना में फ्री-एयर-टाइम (एफ ए टी) के शामिल न किए जाने के कारण ₹ 92.10 करोड़ की कुल राशि को कम बताया गया।

वी टी एल ने कहा कि:-

- कुछ चुनिंदा प्रीपेड प्रशुल्क योजना तथा इन योजनाओं का प्रस्ताव बाजार की माँग/प्रबन्धन के फैसले पर आधारित था। ऐसी योजना में यदि ग्राहकों को फ्री एयर-टाइम प्रदान किया गया था, तो प्रशुल्क की राशि, जो ग्राहकों द्वारा विशेष मूल्य वर्ग के वाउचर द्वारा रिचार्ज की गई थी, अतंतः राजस्व के रूप में दर्ज की गई थी। यह प्रशुल्क योजनाएँ ट्राई के दिशा-निर्देशों के अधीन थीं;
- वी टी एल द्वारा फ्री एयर-टाइम का प्रस्ताव केवल जी एस एम प्रीपेड ग्राहकों के लिये था तथा यह प्रस्ताव टाक-टाइम के अतिरिक्त और अधिक था। फ्री एयर-टाइम एक प्रचारक गतिविधि, है जिसका प्रयोग ग्राहकों को बनाए रखने एवं मंथन करने के उद्देश्य से किया जाता है;
- कम्पनी ने फ्री एयर-टाइम के विरुद्ध राजस्व को स्वीकार्यता दी है तथा इसके अनुरूप नकद प्रवाह/रसीद इसके अनुरूप नहीं है;
- एफ ए टी एक प्रकार की योजनाबद्ध व्यापार रणनीति है तथा ट्राई के साथ दायर प्रशुल्क योजना का हिस्सा है। यह ग्राहकों को अग्रिम तौर पर दिया जाता है और ऐसी काल्पनिक मौद्रिक राशि लाइसेंस फीस के अधीन नहीं हो सकती है;
- ए एस-9 के सदर्भ में, राजस्व प्राप्तियों उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री या सेवाएँ प्रदान करने से प्राप्त नकद सकल प्रवाह है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त राजस्व पर लाइसेंस फीस का भुगतान किया गया था;
- तदनुसार उपरोक्त तथ्यों और विवरणों को ध्यान में रखते हुए, एफ ए टी की ₹ 92.10 करोड़ की राशि पहले ही राजस्व में विचार हेतु रख ली गई थी। लाइसेंस फीस की गणना प्राप्त राजस्व पर की गई थी। इसीलिए वी टी एल इस बिंदु को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि एफ ए टी का राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव है।

प्रबन्धन द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टि कोण इस प्रकार है:-

- लेखापरीक्षा का तर्क है कि एयर-टाइम एक स्वतंत्र वस्तु नहीं है। इसका आंतरिक मूल्य होता है तथा एफ ए टी प्रदान करने पर लाइसेंस धारक एल एफ तथा एस यू सी को बचाने के लिए राजस्व को स्वभाविक तौर पर दर्शाने के बजाय इसको व्यय के तौर पर दर्ज करता है।
- प्रशुल्क के अनुसार दिये गये एफ ए टी का विवरण और जो ग्राहकों को बढ़ावा देने के रूप में पेश किया गया था, प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः प्रीपेड ग्राहकों को दिये गये ₹ 92.10 करोड़ के एफ ए टी की नैटिंग कर जी आर/ए जी आर को कम बताया गया व परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस तथा 'एस यू सी' की ₹ 7.88 करोड़ और ₹ 3.69 करोड़ का कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक-4.02)।

4.2.3 प्रीपेड सिम कार्डों की बिक्री से प्राप्त राजस्व का ध्यान में न रखना

कम्पनी ने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान 1+1 योजना संचालित की थी। इस योजना के तहत वितरकों को एक सिम के मूल्य पर दो सिम वितरित किये गये थे। लेखापरीक्षा ने वी टी एल के जनरल लेजर की जाँच में यह पाया कि एक सिम से प्राप्त राजस्व की गणना की गई थी, जबकि मुफ्त दिए गए ₹ 5.25 करोड़ के सिम कार्डों की राशि को जी आर/ए जी आर की गणना करते समय विचार नहीं किया गया था। चूंकि, यह योजना प्रचार हेतु थी सिम कार्डों के मूल्य का समावेश न करना यू ए एस एल/यू एल अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 के विचलन में था।

वी टी एल ने प्रत्युत्तर दिया कि:-

- कम्पनी बाजार माँग/प्रबन्धन निर्णय के आधार और वितरकों द्वारा 1+1 सिम की प्रस्तुत मांग के विरुद्ध वितरकों को 1+1 सिम की पेशकश करती है;
- 1+1 सिम कार्ड की योजना में, वितरकों को 1 सिम के मूल्य पर 2 सिम प्रदान किये गये थे और 1+1 सिम की चूक से राजस्व के रूप में गणना चूक से की गई है। तदनुसार राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज हुई खातों में सही प्रविष्टियों कर, राजस्व को सही कर लिया गया है और कम की गई राशि केवल 1+1 सिम की है, जिसका कोई मूल्य नहीं है;
- 1+1 सिम योजना वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिए लागू थी। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 2 फरवरी 2012 के अपने निर्णय में यू ए एस एल लाइसेंस निरस्त कर दिये थे, अतः मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऐसी विपणन योजनायें कम्पनी द्वारा आवश्यक थीं;
- यह भी निवेदन किया जाता है कि ए एस-9 के सदर्भ में, राजस्व विभिन्न प्राप्तियों उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री या सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त नकद सकल प्रवाह है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त राजस्व पर लाइसेंस फीस का भुगतान किया गया था;

- टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में हवाला देते हुए कहा कि “जी आर” की गणना हेतु प्रवाह का मतलब काल्पनिक न होकर प्राप्ति से है;
- वी टी एल, उपरोक्त तथ्यों/विवरणों को ध्यान में रखते हुए “एफ ओ सी” के तौर पर ₹ 5.25 करोड़ के लेखापरीक्षा बिन्दु को स्वीकार या विचार करने की स्थिति में नहीं है।

वी टी एल प्रबन्धन द्वारा की गई टिप्पणी पर लेखापरीक्षा के विचार निम्न प्रकार से है:-

- लेखापरीक्षा का विचार है कि 1+1 योजना मूलतः प्रचार के लिए है। अतः सिम के बिक्री मूल्य की राजस्व के तौर पर गणना की जानी चाहिए तथा मुफ्त दिए गए सिम की कीमत को व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। ‘क्यू टी एल’ ने मुफ्त बांटे गए सिम के मूल्य की गणना न करने के कारण राजस्व को ₹ 1.90 करोड़ कम करके बताया।
- यह जवाब कि फ्री सिम की कोई कीमत नहीं है, विचार योग्य नहीं है चूंकि उन्हें वितरकों द्वारा अलग से बेचा जा सकता है तथा इन सिम को कम्पनी द्वारा अलग से सक्रिय किया जाना अपेक्षित है;
- चूंकि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का यह मत है कि 1+1 योजना की प्रकृति बाजारी खर्चों की है अतः इसको राजस्व में शामिल न करना लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध है।

अतः प्रबन्धन का ₹ 5.25 करोड़ के राजस्व को विचार न करने का निर्णय लाइसेंस अनुबन्ध के विरुद्ध था और परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को उसी हद तक कम दर्शाया गया। फलस्वरूप इसी प्रभाव के साथ एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 0.42 करोड़ व ₹ 0.24 करोड़ कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-4.03)**।

4.3 राजस्व हिस्सेदारी में शामिल नहीं की गई आय

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसधारी कम्पनियों के खातों के प्रमाणीकरण के बारे में लाइसेंस समझौते के दौरान यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि राजस्व हिस्से के बयानों में दिखाई देने वाले राजस्व तथा कम्पनी के अपने लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित वार्षिक खातों में दिखाये गये राजस्व के बीच सामंजस्य किया जाना चाहिए।

ट्रायल बैलेंस के साथ समाधान विवरण, की समीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार लेखा में लेखापरिक्षित ए जी आर विवरण जो कि लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की गई थी तथा वर्ष 2009-10 से 2014-15 के लिए वी टी एल के प्राथमिक लेखांकन अभिलेखों से उनके मिलान कार्य से यह दर्शित हुआ कि कम्पनी के लेखाओं में दर्शाई गई कुछ श्रेणियों के तहत आय जी आर/ए जी आर के परिकलन तथा राजस्व शेयर के भुगतान के लिए विचारित नहीं की गई थी। यद्यपि ये राजस्व, राजस्व शेयर के भुगतान के लिए जी आर का भाग होने चाहिए, ए जी आर विवरण में शामिल नहीं किए गए। जी आर/ए जी आर से अलग कर दी गई आय नीचे चर्चित है:

4.3.1 राजस्व शेयर के लिए ब्याज आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार राजस्व शेयर के भुगतान के लिए जी आर में ब्याज से प्राप्त आय शामिल होनी चाहिए। वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए वी टी एल द्वारा प्रस्तुत डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 में लेखा पुस्तकों में लेखांकित ₹ 59.85 करोड़ की ब्याज आय पर एल एफ व एस यू सी के भुगतान के उद्देश्य से विचार नहीं किया गया।

वी टी एल प्रबंधन ने बताया:

- ब्याज दूरसंचार सेवाओं से अर्जित राजस्व का भाग नहीं था अतः उसे ए जी आर की गणना में नहीं शामिल किया गया।
- इस मामले को माननीय टी डी सैट में चुनौती दी गई थी व टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को अपने फैसले के तहत आपरेटरों के खिलाफ निर्णय दिया। टी डी सैट के फैसले को कम्पनी के साथ साथ डी ओ टी ने भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
- कम्पनी सुनिश्चित करती है कि जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंततः इस मामले में निर्णय लिया जायेगा, कम्पनी ब्याज आय से अर्जित आय पर एल एफ तथा एस यू सी के भुगतान सहित उसका पालन करेगी।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया निम्न कारणों से ठोस नहीं है:-

- लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा में राजस्व हिस्सेदारी के परिकलन हेतु जी आर/ए जी आर में ब्याज आय के समावेशन हेतु स्पष्ट रूप से कहा गया है; और
- यद्यपि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में उपन्यायिक है, लेखापरीक्षा का विचार है कि लाइसेंस अनुबंध के संदर्भ में राजस्व हिस्सेदारी के परिकलन हेतु ब्याज आय को जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

ब्याज आय को शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 59.85 करोड़ कम दर्शाया गया और फलस्वरूप एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 4.80 करोड़ व ₹ 1.91 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-4.04)।

4.3.2 विदेशी मुद्रा लाभ का जी आर/ए जी आर में शामिल न करना

लाइसेंस अनुबंध के संदर्भ में सकल राजस्व में अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होंगे। लेखापरीक्षा ने पाया कि डी ओ टी को देय राजस्व हिस्से के प्रयोजनार्थ लेन-देन से प्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ के रूप में बुक किए गए ₹ 15.34 करोड़ को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा प्रत्येक मद का वास्तविक मूल्य न होने के कारण प्रत्येक वर्ष वसूले लाभ के अन्तर्गत लेखित मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सकी। प्रचालक को प्रत्येक मद से लाभ की गणना, लेखों की आरम्भिक कीमत के संदर्भ में करनी चाहिए और कुल विदेशी मुद्रा लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि-

- विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव आकस्मिकता थी जिसका प्रत्येक व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता था और इस प्रकार का लाभ कम्पनी की प्राथमिक व अनुपूरक सेवाओं से उपार्जित नहीं हुआ था, जैसा कि अपने उपभोक्ताओं/अभिदाताओं को दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराया जाना। फोरेक्स लाभ परिणाम तब होता है जबकि घरेलू मुद्रा व विदेशी मुद्रा की वृद्धि के कारण विदेशी विनिमय में भुगतान कम होता है और इस प्रकार की विनिमय भिन्नताये तब उत्पन्न होती है जब दरें पुस्तकों में प्रारम्भ में दर्ज की गई दरों से भिन्न होती हैं।
- लेखापरीक्षा ने लेखाशीर्ष में दर्ज हानि को उपेक्षित कर केवल काल्पनिक लाभ पर विचार किया। फोरेक्स लाभ-हानि, दूरसंचार व्यय से भिन्न है, जहाँ वैचारिक लाभ पर विचार, हानि को अलग करके किया जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक बुक क्लोजिंग अवधि की समाप्ति पर विनिमय दर भिन्नताओं का हिसाब देने में स्वीकृत उन्हीं सिद्धांतों में रिकार्ड किए गए हैं। यह केवल विक्रेता को भुगतान करते समय कार्यान्वित करवाये गये हैं।
- दिनांक 23 अप्रैल 2015 को टी डी सैट पारित निर्णय में कहा गया था कि विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण कोई लाभ अथवा हानि पर लाइसेंस फीस वहन नहीं होनी चाहिए।

निम्न कारणों से प्रबंधन का तर्क ठोस नहीं है:-

- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार विविध आय को जी आर में शामिल किया जाना चाहिए तथा लेखापरीक्षा का मत है कि विदेशी विनिमय से होने वाले लाभ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।
- कम्पनी लेखांकन के लिए वाणिज्यिक तरीके अपनाती रही है तथा लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार "लाभ/हानि" की गणना सभी उपार्जित प्राप्तियों तथा व्यय को हिसाब में लेने व दो भिन्न तिथियों पर व्यापारिक संपत्तियों की तुलना करने के बाद की जाती है। लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय भिन्नता के कारण उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ (राजस्व)/हुई हानि (व्यय) तार्किक है तथा इसे आकस्मिक/सांकेतिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता है। पुनः लेखापरीक्षा ने केवल प्राप्त किये गये लाभ पर विचार किया है।
- यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार विदेशी विनिमय से होने वाले लाभ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

क्यू टी एल द्वारा वसूले गए विदेशी विनिमय लाभ को शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को ₹ 15.34 करोड़ कम दिखाया गया जिसके फलस्वरूप एल एफ/एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.38 करोड़ और ₹ 0.43 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-4.05)।

4.4 एल एफ व एस यू सी के अल्प/गैर भुगतान पर ब्याज

जैसा कि उपरोक्त मामलों में उल्लिखित है (पैरा 4.2.1 से 4.3.2) एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 20.30 करोड़ व ₹ 8.90 करोड़ बनता था। एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान पर ब्याज ₹ 18.88 करोड़ है (अनुलग्नक-4.06)। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर के आधार पर की गई थी अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की मौजूदा मूल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक तथा गणना के लिए विचारित अवधि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस शर्तों के अनुसार ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि दर पर की गई है।

4.5 राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क के विवरणों में प्रकटीकरण (ए जी आर विवरण)

यू ए एस एल अनुबंध में प्रावधान था कि प्रचालक कम्पनी का लेखा इसके वैधानिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके साथ-साथ अनुबंध में लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस संबंधी गतिविधि से प्राप्त राजस्व पहचान करने एवं इसको बताने हेतु पृथक एवं विशिष्ट मानदंड/दिशानिर्देश भी उपलब्ध है। इन मानकों, जिनका विस्तृत वर्णन यू ए एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III में है, में लाइसेंस द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण सूचना को प्रकट करने का प्रावधान किया है। जैसे कि उस अवधि की बिल योग्य राशि, छूट/रिबेट के विवरण, घरेलू तथा बाहरी ग्राहकों के लिए कुल एयर टाइम यूनिट्स का विवरण तथा बिल न किए जाने वाले नम्बर (सर्विस कनेक्शन) आदि। लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 20.2 एवं 20.6 के साथ पठित मानदंड/दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों, स्वीकार्य लेखा संबंधी मानकों इत्यादि का अनुपालन करते हुए अपना लेखा तैयार करना लाइसेंसधारी कम्पनी का विशेषाधिकार है, राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के उद्देश्य से लाइसेंसधारी कम्पनी के ए जी आर की गणना यू ए एस लाइसेंस में ग्रहीत राजस्व की परिभाषा के अनुसार होगी।

- अनुबंध में यह भी बताया गया है कि *लाइसेंसधारी लाइसेंसधारक को कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हलफनामे पर शपथ लेते हुए प्रमाणित विवरण देने के लिए बाध्य है जिसमें प्रत्येक तिमाही के भुगतान के साथ साथ प्रत्येक तिमाही के लिए अलग से राजस्व के पूर्ण लेखों का ब्यौरा हो जैसा कि शर्त 19 में परिभाषित है।* लाइसेंस कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षा को जो कम्पनी अधिनियम में प्रावधानों/संबंधित लेखा मानकों इत्यादि के अनुसार लेखा तैयार करते हैं यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि लाइसेंस अनुबंध (अनुलग्नक-II के परिशिष्ट-1) में शामिल मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क का विवरण तैयार किया गया है।

- रिपोर्ट में दर्शाये गए राजस्व को कम बताने के उदाहरण पुष्टि करते थे कि वी टी एल द्वारा लाइसेंस शुल्क एवं एस यू सी के भुगतान हेतु प्राप्त राजस्व की पहचान न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थी और न ही लेखा को तैयार करने में डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों का पूरी तरह अनुपालन किया गया। यद्यपि प्रबंधन ने कहा कि राजस्व को समायोजित करने के बाद छूट बुक की गई, किन्तु लाइसेंस अनुबंध के अनुसार वी टी एल के वार्षिक लेखा में इसका विवरण कभी नहीं दर्शाया गया। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया कि उस बिल योग्य राजस्व को ए एस-9 के अनुसार सकल राजस्व के रूप में दर्शाया गया तथा बिल योग्य धनराशि पर कोई छूट प्रदान नहीं की गई। प्रबंधन का पक्ष लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं था क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी की सेवा आय सकल रूप में दर्शानी थी तथा छूट कटौती के विवरणों को अलग से दर्शाना था। लाइसेंसधारी के साथ सभी अपेक्षित सूचनाओं को साझा करने/प्रकट करने के लिए लाइसेंसधारी की अनिच्छा को डी ओ टी द्वारा संबोधित नहीं देखा गया था। भले ही जी आर की गणना लाइसेंस अनुबंध के अनुपालन में नहीं थी, वैधानिक लेखापरीक्षा ने हमेशा प्रमाणित किया कि लाइसेंस अनुबंध में दिये गये दिशा निर्देशों/नियमों के अनुसार खाते तैयार किए गए थे। इसके अलावा अनुबंध में यह भी निर्धारित किया गया था कि लाइसेंसधारी कम्पनी डी ओ टी को कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र पर एक प्रमाणिक विवरण भेजेगी जिसमें भुगतान के साथ साथ प्रत्येक तिमाही के राजस्व के पूर्ण लेखों का अलग से ब्यौरा हो जैसा कि शर्त 19 में परिभाषित है, जिसका अनुपालन करने में कम्पनी असफल रही तथा डी ओ टी द्वारा अपने भाग पर यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया कि लाइसेंसधारी, जैसा लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित है, के अनुसार अपने राजस्व का खुलासा करें। हालांकि नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों को औसत सकल राजस्व (ए जी आर) तक पहुँचने के लिए प्रचालकों द्वारा दावा की गई कटौती की शुद्धता की पुष्टि करने के लिए स्थापित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सकल राजस्व लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार है, सिस्टम को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

4.6 लेखापरीक्षा कथन पर डी ओ टी/वी टी एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स वी टी एल द्वारा देय राजस्व साझेदारी पर लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को दिसम्बर 2016 में डी ओ टी और वी टी एल को उनकी टिप्पणियों हेतु प्रेषित कर दिया गया था। वी टी एल ने परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर अपने उत्तर को एक बार फिर (जनवरी 2017) दोहराया।

डी ओ टी ने कहा (फरवरी 2017) कि :-

- 2002-03 में टी एस पी द्वारा जी आर/ए जी आर की परिभाषा को चुनौती दी गई थी तबसे दीर्घकालिक मुकदमेबाजी हो रही है और अभी भी जारी है।

- डी ओ टी, टी एस पी के विरुद्ध वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अपील में गया है तथा एस सी (सर्वोच्च न्यायालय) के आदेशों के अनुसार विभाग को लाइसेंस अनुबंध की अपनी समझ के अनुसार टी एस पी को डिमान्ड जारी करने की अनुमति मिली हुई थी।
- सी ए जी द्वारा बताए गए अंतिम आकड़ों, लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार तथा डी ओ टी के नीतिगत निर्णयों के आधार पर डिमान्ड जारी की जाएगी।

डी ओ टी की प्रतिक्रिया साबित करती है कि यद्यपि राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था एन टी पी-1999 के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी, विभाग इस व्यवस्था के लागू होने के 17 वर्षों के बाद भी अपना देय राजस्व अंश, जैसे लाइसेंस अनुबंध में उल्लेखित है, वसूल नहीं कर सका है।

यहाँ यह उल्लेख करना सुसंगत है कि जब सरकार ने अप्रैल 2004 से प्रभावी, एल एफ की दर को समस्त प्रचालकों के लिए दो प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया, डी ओ टी ने यह अपेक्षा कि थी कि ऐसी कमी प्रचालकों को सरकार के विरुद्ध चुनौतियों को वापस लेने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि एल एफ में की गई कमी का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ और प्रचालकों ने जी आर/ए जी आर की परिभाषा में डिमान्ड नोट्स को चुनौती देते हुए सरकार के विरुद्ध मुकदमेबाजी करना जारी रखा। इस प्रकार पी एस पी ने एल एफ की दर में छूट का लाभ उठाया परन्तु सरकार को इसके बदले में मुकदमेबाजी में अपेक्षित कमी का लाभ नहीं मिला।